तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./2004/1735/अजमेर **भंवरलाल बनाम रामरतन**	
	एकल–पीठ **श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य** **उपस्थित :–** (1) श्री वी.पी. सिंह, अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री एस.पी. सिंह, अभिभाषक अप्रार्थी **दिनांक :– 9–11–2023** **निर्णय** 1– यह निगरानी राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 30–1–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2 इस निगरानी के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के पिता रामकरण ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उक्त वाद दिनांक 30–9–1988 को निर्णीत कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई और दिनांक 3–1–1997 को अंतरिम डिक्री जारी की गई। इसी वादग्रस्त भूमि के बाबत उसी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष एक वाद पुनः बंटवारे का प्रस्तुत कर पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–1988 व दिनांक 3–1–1997 को निरस्त करने का निवेदन किया। बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने अप्रार्थीगण का वाद दिनांक 15–6–2002 को प्राथमिक डिक्री करते हुये दिनांक 20–3–2003 को आदेश पारित कर अंतिम डिक्री दिनांक 26–3–2003 को जारी कर दी। प्रार्थीगण ने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के न्यायालय में पेश की। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 30–1–2004 के द्वारा प्रार्थीगण की अपील को मियाद बाहर मानकर खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2004/1735/अजमेर** **भंवरलाल बनाम रामरतन**	
	यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः 15–6–2002, 20–3–2003 एवं 26–3–2003 रेसज्यूडीकेटा से बाधित होने के कारण शून्य व निष्प्रभावी है। जिसके विरूद्ध कोई समय सीमा नहीं है क्यों कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में ही प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 30–9–1988 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर दिनांक 3–1–1997 को अंतिम डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध आज दिनांक तक अपील नहीं किये जाने से उक्त निर्णय व डिक्री अंतिम हो चुके है फिर भी उसी आराजी के संबंध में एवं डिक्री के प्रभाव में रहते हुए बंटवारा होकर अलग–अलग खाते कायम होने के बावजूद बंटवारे के नए वाद को डिक्री करने में विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायलय ने कानून की मंशा एवं धारा 11 सीपीसी का उल्लघंन कर जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 5– प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना प्रकरण को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–1–2004 निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण की अपील को अंदर मियाद मानकर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। 6– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा मियाद बाहर अपील पेश की गई थी। क्योंकि विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–6–2002 का है और अपील दिनांक 24–11–2003 को पेश की गई अर्थात डेढ़ साल बाद अपील पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2004/1735/अजमेर** **भंवरलाल बनाम रामरतन**	
	किये गये है। प्रार्थी को पहले से ही निर्णय की जानकारी थी। जानकारी होने के पश्चात भी यदि जानबूझकर देरी की जाती है तो ऐसी मियाद को क्षम्य नहीं किया जा सकता। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज योग्य है। 7– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ने उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय दिनांक 20–3–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को मियाद के बिन्दू पर खारिज किया है। इसलिये मियाद के बिन्दू पर खारिज अपील व डिक्री के विरूद्ध मंडल के समक्ष निगरानी पोषणीय नहीं होकर अपील पोषणीय है। इस परिप्रेक्ष्य में मंडल की वृहत पीठ द्वारा आरआरडी 2005 पेज 604 में यह अभिमत प्रकट किया है कि The order passed rejectiong an application u/s5 Limitation Act in an appeal and dismissing the appeal is appealable, (ii) the order passed rejecting an application u/s 5, Limitation Act in appeal and dismissing the appeal is decree and the order is not revisable - Held the revision ordered to be converted into appeal-Case ordered to be listed as appeal and be placed beffore Division Benchfor disposal according to law on merits. 9– उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के परिप्रेक्ष्य में न्यायहित में इस निगरानी को अपील में रूपान्तरित कर अपील में दर्ज रजिस्टर किया जाकर मंडल की खंड पीठ के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28–11–2023 को पेश हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2004/1735/अजमेर** **भंवरलाल बनाम रामरतन**	